न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 141/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक : 17.10.2022
अन्तर्गत धारा : 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

रामचरण आत्मज श्री नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम नन्दगांव तहसील, नैनवां, जिला बून्दी

...अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार नैनवा, जिला बून्दी

...रेस्पोंडेण्ट

उपस्थित : श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 09.04.2025

अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी के प्रकरण संख्या 68/89 बउनवान सरकार बनाम रामचरण आ0 नारायण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.1991 के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, नैनवां के द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 पेश किया गया कि आवंटन परामर्श दात्री समिति, नैनवां द्वारा आदेश दिनांक 30.05.1986 से ग्राम नन्दगांव में भूमि खसरा सं0 513 मि0 रकबा 8.00 बीघा भूमि आवंटी रामचरण को आवंटित की गई थी, किंतु मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्तों की पालना आवंटी द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी का कब्जा एवं काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तों का उल्लंघन होना मानते हुए निर्णय दिनांक 08.03.1991 से अपीलांट का ग्राम नन्दगांव में भूमि खसरा सं0 513 मि0 रकबा 8.00 बीघा भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 30.05.1986 निरस्त किया गया।

2 अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी के प्रकरण संख्या 68/89 बउनवान सरकार बनाम रामचरण आ0 नारायण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.1991 से व्यथित होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई। प्रस्तुत अपील का संक्षित सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/आवंटी का कब्जा नहीं होना मानते हुए आवंटन आदेश निरस्त किया गया, जो कानून न्याय एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को विषयक आराजी दिनांक 30.05.1986 को आवंटित की गई थी, तत्पश्चात् आवंटनशुदा भूमि का दखलनामा दिनांक 02.07.1986 को अपीलांट को दिया गया। इसके उपरांत अपीलांट निरंतर आवंटित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आवंटित भूमि को हाक जोत कर तैयार कर कृषि योग्य बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस पर अपीलांट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेरअपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलांट ने किन नियमों का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल मात्र तहसीलदार, नैनवां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर बिना दस्तावेज व साक्ष्य के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति है, जो कानूनी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ है तथा अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था और दिनांक 26.09.1990 को अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया था, किंतु अधिवक्ता के द्वारा यह कहा गया था कि जब भी आवश्यकता होगी, तो बताया दिया जायेगा। इस कारण अपीलांट को प्रकरण के निर्णय की जानकारी नहीं रही तथा सर्वप्रथम पटवारी हल्का से दिनांक 02.09.2022 को जानकारी होने पर नकल की प्रति प्राप्त कर अपील पेश की गई। अतः सर्वप्रथम जानकारी की तिथि दिनांक 02.09.2022 से नकल निर्णय प्राप्त होने की अवधि को कण्डोन कर अपील अवधि मध्य मानी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.1991 को निरस्त फरमाया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को विषयक आराजी दिनांक 30.05.1986 को आवंटित की गई थी, तत्पश्चात् आवंटनशुदा भूमि का दखलनामा दिनांक 02.07.1986 को अपीलांट को दिया गया। इसके उपरांत अपीलांट निरंतर आवंटित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आवंटित भूमि को हाक जोत कर तैयार कर कृषि योग्य बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस पर अपीलांट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए

अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेरअपील पारित किया गया तथा आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलांट ने किन नियमों का उल्लंघन किया है। अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति है, जो कानूनी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ है तथा अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था और दिनांक 26.09.1990 को अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया था, किंतु अधिवक्ता के द्वारा यह कहा गया था कि जब भी आवश्यकता होगी, तो बताया दिया जायेगा। इस कारण अपीलांट को प्रकरण के निर्णय की जानकारी नहीं रही तथा सर्वप्रथम पटवारी हल्का से दिनांक 02.09.2022 को जानकारी होने पर नकल की प्रति प्राप्त कर अपील पेश की गई। अतः सर्वप्रथम जानकारी की तिथि दिनांक 02.09.2022 से नकल निर्णय प्राप्त होने की अवधि को कण्डोन कर अपील अवधि मध्य मानी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.1991 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवंटी/अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वंय दिनांक 19.10.1989, 07.12.1989 एवं 09.02.1990 को उपस्थित रहा है। इस प्रकार प्रकरण की अपीलांट को शुरूआत से ही जानकारी रही है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.1991 के विरूद्ध अपील पेशन करने में हुए 21 वर्ष के विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमायी जावे।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, नैनवां के द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 पेश किया गया कि आवंटन परामर्श दात्री समिति, नैनवां द्वारा आदेश दिनांक 30.05.1986 से ग्राम नन्दगांव में भूमि खसरा सं0 513 मि0 रकबा 8.00 बीघा भूमि आवंटी रामचरण को आवंटित की गई थी, किंतु मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्तों की पालना आवंटी द्वारा नहीं की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में कारण अंकित किया गया है कि दिनांक 26.09.1990 को अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया था, किंतु अधिवक्ता के द्वारा यह कहा गया था कि जब भी आवश्यकता होगी, तो बताया दिया जायेगा। इस कारण अपीलांट को प्रकरण के निर्णय की जानकारी नहीं रही तथा सर्वप्रथम पटवारी हल्का से दिनांक 02.09.2022 को जानकारी होने पर नकल की प्रति प्राप्त कर अपील पेश की गई। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट के उपरोत तर्क के संबंध में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

राजीव कपूर
कोटा संभाग, कोटा

अपील 21 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 प्रार्थना–पत्र संलग्न करते हुए अपील के विलम्ब का उचित एवं संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि अपील मियाद के बिन्दु पर स्वीकार किये जाने से पूर्व कानूनन विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ संख्या 549 में प्रतिपादित है कि *An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainity and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a parties on in action, negligence or laches.* इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि *Liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay – held , application & appeal are liable to be dismissed.* इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कण्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से इस स्टेज पर मेटेंनेबल नहीं होने से मियाद के बिन्दु पर ही अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा